झारखण्ड सरकार

परिवहन विभाग

अधि0सं0 – परि०आ०–22/2000 1833 /राँची, दिनांक –07/11/12

।। अधिसूचना ।।

केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली 1989 के नियम 108 (III) के द्वारा राज्य सरकार को रंगीन बत्ती प्रयोग करने के संबंध में अधिसूचना जारी करने का अधिकार प्राप्त है।

2. विभागीय अधिसूचना संख्या–1756 दिनांक 19.06.2002 के द्वारा विभिन्न विशिष्ट व्यक्तियों/पदधारकों को उनके सरकारी वाहनों के आगे/ऊपर में रंगीन बत्ती (लाल एवं पीली) उपयोग करने हेतु अधिकृत किया गया है। राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त इन अधिसूचित व्यक्तियों/पदधारकों के अतिरिक्त अपर महाधिवक्ता के वाहन के आगे/ऊपर पीली बत्ती लगाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. विभागीय अधिसूचना संख्या –1756 दिनांक 19.06.2002 में विहित शर्तें यथावत् रहेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

Saiyan 7/11/12

सचिव–सह–परिवहन आयुक्त

परिवहन विभाग

ज्ञापांक – परि०आ०–22/2000 1833 /राँची, दिनांक – 07/11/12

प्रतिलिपि – उपाधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित । अधिसूचना की पाँच सौ प्रतियाँ कार्यालय व्यवहारार्थ इस कार्यालय को कृपया भेजे जायें ।

Saiyan 7/11/12

सचिव–सह–परिवहन आयुक्त

ज्ञापांक – परि०आ०–22/2000 1833 /राँची, दिनांक – 07/11/12

प्रतिलिपि – महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची के मुख्य न्यायाधीश के सचिव/महाधिवक्ता/अपर महाधिवक्ता/माननीय अध्यक्ष विधान सभा के सचिव/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखण्ड/राज्य निर्वाचन आयुक्त/सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक/महालेखाकार, झारखण्ड/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/उपायुक्त/पुलिस अधीक्षक/जिला परिवहन पदाधिकारी/प्रवर्तन पदाधिकारी/प्रवर्तन निरीक्षक/मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

Saiyan 7/11/12

सचिव–सह–परिवहन आयुक्त

ज्ञापांक – परि०आ०–22/2000 1833 /राँची, दिनांक – 07/11/12

प्रतिलिपि –निदेशक, जन सम्पर्क एवं सूचना विभाग, झारखण्ड को उक्त अधिसूचना को दो प्रतियों में प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि उक्त सूचना का प्रकाशन हिन्दी एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र में एक तिथि को यथाशीघ्र प्रकाशन कराने का कष्ट करें ।

Saiyan 7/11/12

सचिव–सह–परिवहन आयुक्त

झारखण्ड सरकार

परिवहन विभाग

अधि0सं0 – परि०वि०-306/2012 1234 /राँची, दिनांक – 07/11/12

।। अधिसूचना ।।

केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली 1989 के नियम 108 (III) के द्वारा राज्य सरकार को रंगीन बत्ती प्रयोग करने के संबंध में अधिसूचना जारी करने का अधिकार प्राप्त है।

2. विभागीय अधिसूचना संख्या-1756 दिनांक 19.06.2002 के द्वारा विभिन्न विशिष्ट व्यक्तियों/पदधारकों को उनके सरकारी वाहनों के आगे/ऊपर में रंगीन बत्ती (लाल एवं पीली) उपयोग करने हेतु अधिकृत किया गया है। राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त इन अधिसूचित व्यक्तियों/पदधारकों के अतिरिक्त निदेशक, रिम्स के वाहन के आगे/ऊपर पीली बत्ती लगाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. विभागीय अधिसूचना संख्या -1756 दिनांक 19.06.2002 में विहित शर्त्ते यथावत् रहेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

Laiton 7/11/12

सचिव-सह-परिवहन आयुक्त

परिवहन विभाग

ज्ञापांक - परि०वि०-306/2012 1234 /राँची, दिनांक - 07/11/12

प्रतिलिपि - उपाधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित । अधिसूचना की पाँच सौ प्रतियाँ कार्यालय व्यवहारार्थ इस कार्यालय को कृपया भेजे जायें ।

Laiton 7/11/12

सचिव-सह-परिवहन आयुक्त

ज्ञापांक - परि०वि०-306/2012 1234 /राँची, दिनांक - 07/11/12

प्रतिलिपि - महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची के मुख्य न्यायाधीश के सचिव/महाधिवक्ता/अपर महाधिवक्ता/माननीय अध्यक्ष विधान सभा के सचिव/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखण्ड/राज्य निर्वाचन आयुक्त/सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक /महालेखाकार, झारखण्ड/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/उपायुक्त/पुलिस अधीक्षक/निदेशक, रिम्स, झारखण्ड/ जिला परिवहन पदाधिकारी/प्रवर्तन पदाधिकारी/प्रवर्तन निरीक्षक/मोटरयान निरीक्षक/प्रवर्तन अवर निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

Laiton 7/11/12

सचिव-सह-परिवहन आयुक्त

ज्ञापांक - परि०वि०-306/2012 1234 /राँची, दिनांक - 07/11/12

प्रतिलिपि -निदेशक, जन सम्पर्क एवं सूचना विभाग, झारखण्ड को उक्त अधिसूचना को दो प्रतियों में प्रेषित । उनसे अनुरोध है कि उक्त सूचना का प्रकाशन हिन्दी एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र में एक तिथि को यथाशीघ्र प्रकाशन कराने का कष्ट करें ।

Laiton 7/11/12

सचिव-सह-परिवहन आयुक्त